DFA

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 48/2018 अपील

1. श्री सोजी पिता पन्ना गुर्जर निवासी–रूपपुरा तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा।	**बनाम**	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा।
–अपीलार्थी		– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण सं0 130/2017
निर्णय दिनांक 04.01.2018

उपस्थित –
1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 4-11-.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार शाहपुरा के प्रकरण सं. 130/2017 निर्णय दिनांक 04.01.2018 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम रूपपुरा की आराजी नम्बर 2366/58 रकबा 0.55 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 68 रकबा 0.55 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.10 हेक्टेयर पर अतिक्रमण की कार्यवाही की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपीलांट के विरूद्व 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जिसे अपीलांट की तामिले मानते हुए दिनांक 04.01.2018 को तामिल मानकर अनुपस्थित दर्शाते हुए एक तरफा निर्णय एवं आदेश पारित किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 3 माह का सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जबकि इस मामले में अपीलांट को कोई सूचना दिए बगैर व बिना तामिल करवाए ही यह आलौच्य निर्णय व आदेश पारित किया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। उक्त आलौच्य निर्णय एवं आदेश की जानकारी संबंधित पटवारी हल्का रूपपुरा द्वारा दिनांक 05.02.2018 को दी गई जिस पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के यहां 05.02.2018 को नकल का आवेदन पेश कर नकल निर्णय दिनांक 23.02.2018 को प्राप्त की।

विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त विगत 30–35 वर्षो से लगातार चला रहा है। अपीलांट भूमिहीन होने से अपीलांट को यह भूमि आवंटित की गई थी। जो भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दोरान अपीलांट के नाम से हटाकर हाल रिकार्ड में बिलानाम दर्ज कर दी गई जिससे यह कार्यवाही अपीलांट के विरूद्व गलत की जा रही है।

विवादित आराजी के साबिक आराजी नम्बर 4 है। इस साबिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज0)

आराजी नम्बर 4 में से 5 बीघा भूमि आंवटन कमेटी द्वारा अपीलांट को दिनांक 09.06.1987 को आवंटन कमेटी मुकाम तहनाल में आवंटित की गई। जिसके हाल नम्बर आलौच्य आराजी नम्बर है। यदि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपीलांट की सही तामिल करवाई जाती तो अपीलांट अवश्य ही न्यायालय में उपस्थित होता और मामले में जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखता व साक्ष्य प्रस्तुत करता व अपीलांट अपने आप को निर्दोष साबित करता लेकिन अपीलांट को अतिक्रमी मान कर दण्डित करने में भारी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने बिना पूरा रिकार्ड मंगवाए एवं अवलोकन किये ही व बिना अपीलांट की प्रोपर तामिल करवाए ही अपीलांट को विवादित भूमि का पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जो गलत है। आलौच्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.01.2018 से जानकारी की तारीख 05.02.2018 व मिलने नकल दिनांक 23.02.2018 तक के समय को कन्डोन हेतु इस अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.01.2018 प्रकरण संख्या 130/2017 को अपास्त किया जावे एवं अपीलांट को दिए गए सिविल कारावास व अर्थदण्ड को निरस्त किया जावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम रूपपुरा की आराजी नम्बर 2366/58 रकबा 0.55 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 68 रकबा 0.55 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.10 हेक्टेयर पर अतिक्रमण की कार्यवाही की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपीलांट के विरूद्ध 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जिसे अपीलांट की तामिले मानते हुए दिनांक 04.01.2018 को तामिल मानकर अनुपस्थित दर्शाते हुए एक तरफा निर्णय एवं आदेश पारित किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 3 माह का सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जबकि इस मामले में अपीलांट को कोई सूचना दिए बगैर व बिना तामिल करवाए ही यह आलौच्य निर्णय व आदेश पारित किया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। विवादित आराजी के साबिक आराजी नम्बर 4 है। इस साबिक आराजी नम्बर 4 में से 5 बीघा भूमि आंवटन कमेटी द्वारा अपीलांट को दिनांक 09.06.1987 को आवंटन कमेटी मुकाम तहनाल में आवंटित की गई। जिसके हाल नम्बर आलौच्य आराजी नम्बर है। यदि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपीलांट की सही तामिल करवाई जाती

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

तो अपीलांट अवश्य ही न्यायालय में उपस्थित होता और मामले में जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखता व साक्ष्य प्रस्तुत करता व अपीलांट अपने आप को निर्दोष साबित करता लेकिन अपीलांट को अतिक्रमी मान कर दण्डित करने में भारी भूल की है। निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.01.2018 प्रकरण संख्या 130/2017 को अपास्त किया जावे एवं अपीलांट को दिए गए सिविल कारावास व अर्थदण्ड को निरस्त किया जावें। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में दस्तावेजों की सूची के साथ नकल नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 की फोटोप्रति पेश की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। वादग्रस्त आराजी सरकारी बिलानाम बंजड़ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया। अपीलार्थी ने अतिक्रमणशुदा आराजी पर 30 – 35 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त होने के समर्थन में कोई दस्तोवजी साक्ष्य पेश नही किये हैं। अपीलार्थी का ग्राम रूपपुरा के आराजी नं. 2366/58 क्षैत्रफल 1.38 हैक्ट. में से 0.25 हैक्ट. भूमि आवंटन की गयी जिसके नवीन नम्बर 2401/58 है जो गेर खातेदारी से दर्ज हैं। इस भूमि के अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा ग्राम रूपपुरा में स्थित सरकारी बिलानाम आराजी नं. 2366/58 रकबा 0.55 हैक्ट., एवं आराजी नं. 68 रकबा 0.55 हैक्ट. किस्म बंजड़ पर संवत् 2074 खरीफ में अनाधिकृत रूप से फसल उड़द काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने एवं अतिक्रमण आराजी अपीलाण्ट के नियमन योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्व उक्त आराजियात से बेदखल किये जाने एवं शास्ती 100/–रूपये अधिरोपित कर वसूल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किया जो युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के प्रकरण सं. 130/2017 निर्णय दिनांक 04.01.2018 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 4-11-.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा